न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

(पंचायत) निगरानी संख्या 02/ 22 **वर्ष 2022**

जीसीएम संख्या :–2022/51

बउनवानीः–मंदिर श्री चौथ माता ट्रस्ट चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर पंजीयन संख्या 97/1997 दिनांक 30.6.1997 जरिये मंत्री श्री श्रीदास सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह राजावत नि0सवाईमाधोपुर

बनाम

1. ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जरिये सचिव, ग्रा.प. चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर
2. ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जरिये सरपंच ग्रा.प. चौथ का बरवाडा जिला,स0मा0

(निगरानी विरूद्ध पत्रावली संख्या 1361/22.2.2021 निर्णय दिनांक 23.2.2022 द्वारा ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा पंचायत समिति चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थितः–1. श्री आशिष कुमार जैन — वकील प्रार्थी
2. श्री सुधीर कुमार जैन — वकील अप्रार्थीगण

–: निर्णय :– **दिनांक 16.2.2023**

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा की पत्रावली संख्या 1361/22.2.2021 मे पारित निर्णय दिनांक 23.2.2022के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि कथित प्रस्ताव अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे ।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत प्रस्तुत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील निगरानीकार ने दौराने सुनवायी कथन किया कि निगरानीकार अलमशहूर मंदिर श्री चौथमाता ट्रस्ट चौथ का बरवाडा मे स्थित है जो नियमानुसार राज. सार्वजनिक प्रन्यास अधि. 1959 के तहत पंजीयन क्रमांक 97/1997 दिनांकित 30.6.1997 को पंजीकृत है जिसके वर्तमान मंत्री श्रीदास सिंह राजावत है। सायल मंदिर के आवेदन दिनांक 8.5.2012 के तहत सायल को शिवमंदिर सी.सी.रोड़ एवं परकोटा गढ के मध्य की भूमि ग्राम के सोन्दर्यकरण,यात्रियों की सुविधा व जन उपयोगार्थ गैर सायल ने अपने प्रस्ताव संख्या 09 दिनांक 10.5.2012 के तहत पार्क निर्माण के लिए उपलब्ध कराई गयी है जिस पर तब से आज तक सायल मंदिर जी ने तकरीबन 20–25 लाख रूपये का निवेश कर चारदीवारी करवाकर पानी, बिजली की सुविधा से युक्त एक सुंदर पार्क के रूप में विकसित किया है। उक्त प्रस्ताव के तहत ही सायल मंदिर जी ने उक्त भूमि पर पार्क विकसित कर इसमे आम, अमरूद,आवला इत्यादि के फलदार वृक्षो के अलावा अन्य कई पेड पौधे उगाकर इसे काफी सुन्दरता के साथ [illegible] के हित सुविधार्थ विकसित किया है। इस पार्क की सार–सम्भाल देखरेख नियंत्रण [illegible] सायल मंदिर जी द्वारा किया जा रहा है जिसमे समस्त ग्रामवासी व समस्त यात्री [illegible] अपनी सुविधानुसार घूमते है। ग्राम के वाशिन्दान प्रातःकाल एवं सायंकालीन भ्रमण के लिए [illegible]यत मे नियमित आ[illegible] इसमे उगाये गये फलदार वृक्षो का भी आम जन ही उपयोग करता है इनसे किसी प्रकार की कोई आमद सायल मंदिर जी द्वारा नही की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:31:37 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

यह तर्क भी दिया कि गैर सायलान ने प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 10.5.2012 के तहत सायल मंदिर जी ने आम जन के उपयोगार्थ व हितार्थ लाखों रूपयो का निवेश कर ग्राम के सौन्दर्यकरण के काम को बखूबी अन्जाम दिया है जिससे वर्तमान में उक्त भूमि एक सुन्दर पार्क के रूप मे विकसित हो सकी है इस प्रस्तावस संख्या 9 के विरूद्व तत्कालीन समय में एक निगरानी संख्या 12/2013 उनवानी रामधन धाकड बनाम ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा श्रीमान अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रस्तुत कर विभिन्न आपत्तिया की गयी थी जो बाद सुनवायी गुणावगुण पर दिनांक 30.3.2017 को खारिज करते हुए ग्राम पंचायत के उक्त प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 10.5.2012 को यथावत रखा गया है। किन्तु अप्रार्थी संख्या 2 अपने निजी स्वार्थ के कारण गढ में कारोबाररत कम्पनी को यह सार्वजनिक पार्क देने की कुचेष्ठा धारण की हुई है जिसके तहत निगरानी कर्ता को सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना ही मनमाने तोर पर पोषदगी मे एक पक्षीय प्रस्ताव जैरे निगरानी पारित किया गया है जो कतई खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से हर सूरत मे अपास्तनीय है। यह तर्क भी दिया कि गैर सायल ने विवादित पार्क की भूमि को 22.2.2021 की कथित पत्राावली संख्या 1361 कहकर सम्बोधित किया है जबकि 22.2.2021 की कोई पत्रावली नही है वरन 22.2.2021 को पूर्व प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 22.2.2021 है जो अपास्त कर प्रकरण जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.8.2021 से निम्न दिशा निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया गया है। कि "प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थी को सुनवायी का समुचित अवसर दिया जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित करे एवं जनहित में बगीचे का संचालन सही किये जाने हेतु तथा बगीचे में होने वाली फसल का जनहित मे उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायत प्रशासनिक अधिकारियों की समिति गठित करवायी जाकर रिपोर्ट के अनुसार जनहित में प्रबंधन करवाया जावे। यह तर्क भी दिया कि सन्दर्भित शिकायत व सख्श अज्ञात है जो गैर सायल को नोटिस दिनांकित 19.1.2022 का जवाब देते समय प्रति प्राप्त करने तक के लिये उपस्थित नही आये है ना ही उक्त अज्ञात व्यक्तियों को कोई नोटिस सूचनार्थ प्रेषित होना ही पत्रावली में जाहिर होता है जो दशा प्रकट रूप में गैर सायलान द्वारा स्वंय ही दिखावटी आवेदन मुर्तिब कर मनमानी कार्यवाही किया जाने का प्रमाण है लिहाजा तजवीज गैर सायलान अपास्तनीय है। उक्त संबंध में यदि आम जनता की शिकायत को संज्ञान मे लिया जावे तो उक्त शिकायत मे प्रमुख आपत्तिया यह है कि उद्यान पर केवल चार दिवारी कर कब्जा कर रखा है, उद्यान ग्रामवासियों के उपयोग मे नही आ रहा है, ग्राम पंचायत को टेक्स भी नही मिल रहा है, ग्राम पंचायत स्वंय पार्क बनावे/टेक्स वसूली कर/किसी को किराये पर देवे, प्लाट काटकर गरीब ग्रामवासियों को बेचान कर दे, ट्रस्ट ने इसमे अमरूद्व के पेड लगा दिये है जो पैसा कमाने के लिय किया गया है जबकि जनहित में ट्रस्ट को निःशुल्क एन.ओ.सी. पार्क विस्तार के लिए दी गयी थी। यह तर्क भी दिया कि [illegible] विषय गैर सायलान के नोटिस दिनांकित 19.1.2022 में गौण रखा गया है जो प्र[illegible] है कि उक्त कथित आम जनता की शिकायत या आवेदन पत्र स्वंय गैर सायलान का तैया[illegible] गया है जो द्वेषतापूर्ण कार्यवाही करे ऐनकेन प्रकरेण पार्क का कब्जा ह[illegible] जिसके पीछे मुख्य कारण पार्क की उक्त भूमि को अपने निजी आर्थिक लाभ की चेष्टा में विवादित [illegible] के पास ही स्थित होटल सिक्स सेन्स कम्पनी बरवाडा फोर्ट को कब्जे मे देना रहा है जिसका प्रकट खुलासा निगरानीकार ने अपनी पूर्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:31:37 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

निगरानी के मद संख्या 4 मे कर अंदेशा प्रकट कर दिया था जो निर्णय जैर निगरानी दिनांक 23.2.2022 से स्पष्ट हो जाता है। निर्णय मे स्पष्ट लिखा गया है कि इस बगीचे को इसी रूप मे रखा जावे तथा जो भी संस्था कम्पनी इसे लीज पर लेना चाहे मासिक किराया तय कर दिया जावे। यह तर्क भी दिया निर्णय उक्त अंश गैर निगरानीकारान की दुर्भावना का प्रकट प्रमाण है जिसमे स्वंय कथित बनावटी आम जनता की शिकायत के विपरीत मौके पर पार्क/बगीचा का उसी रूप मे रखा जाने का मत है अर्थात मौके पर पार्क बना होना सुचारू होना, आम जनता के उपयोग में आना ताईद होता है जिसकी पुष्टि पूर्व निगरानी में दिनांक 6.7.2021 के आदेश से तलब रिपोर्ट दिनांक 12.7.2021 से भी हो जाती है जिसमे आम जनता की शिकायत झूंठी हो जाती है तथा मौके पर पार्क का अस्तित्व व आम जनता का उपयोग साबित हो जाता है जिसमे शिकायत आम जनता व नोटिस ड्रोप किया जाना ही न्यायसंगत रह जाता है। इस पर भी दोनो पक्षो को सुनवायी किये बिना, साक्ष्य सबूत का अवसर उपलब्ध करवाये बिना अथवा इसकी जॉच के बिना ही पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर दिनांक 12.2.2022 को ही आदेश (मिटिंग से पूर्व) टाईप करवाया गया है जो काटाफांसी कर दिनांक 23.2.2022 का किया है जिसपर मिटिंग की आम सहमति होना प्रकट ही नही होता है। यह तर्क भी दिया कि श्रीमान के रिमाण्ड आदेश दिनांकित 11.8.2021 की अवहेलना कर निर्णय/प्रस्ताव पारित किया गया है लिहाजा आदेश/प्रस्ताव जेरे निगरानी हर सूरत में अपास्तनीय है। क्योकि निगरानीकार का विवादित भूमि पार्क पर विधिक रूप से कब्जा है जिसे विधिक प्रकिया वाद दिवानी बेदखली के तहत ही अधिकार तय करवाकर बेदखल किया जा सकता है। विवादित भूमि पार्क पर निगरानीकार का लाखो रूपये का निवेश जनहितार्थ हो गया है इसके बावजूद भी गैर निगरानीकार ने प्रस्ताव/आदेश पारित करने से पूर्व ना तो निगरानीकार के पक्ष को सूचित कर सुना है ओर ना ही स्वंय स्तर पर कोई जॉच की है ओर आनन फानन में कथित ग्रामवासियों का आवेदन व आवेदन के अपुष्ट कथन को भी नजर अन्दाज कर विहित प्रकिया का पालना किये बिना पूर्णतया अवैध प्रस्ताव/आदेश पारित किया गया है। यह तर्क भी दिया कि विवादित पार्क की भूमि को लेकर न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश,सवाईमाधोपुर द्वारा उनके न्यायालय मे जैरकार विविध दीवानी प्रकरण संख्या 23/2022 उनवानी गजानन्द वगै0 बनाम मंदिर श्री चौथ माता ट्रस्ट चौथ का बरवाडा में दिनांक 28.11.2022 को स्थगन दिया गया है। यह तर्क भी दिया कि प्रस्ताव जैर निगरानी दिनांक 23.2.2022 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 24.2.2022 को प्राप्त होने पर दिनांक 24.2.2022 को आवेदन किया किन्तु नकल प्राप्त नही हुई। निर्णय की नकल नोटिस क्रमांक 632–34 दिनांक 26.2.2022 के साथ प्राप्त होने पर निगरानी अन्दर मयाद प्रस्तुत है। अतः प्रस्ताव जैर निगरानी अपास्त फरमाया जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि निगरानीकार द्वारा यह निगरानी न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व निगरानी संख्या 06/21 उनवानी मंदिर श्री चौथ माता ट्रस्ट चौथ का बरवाडा बनाम ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा में पारित निर्णय दिनांक 11.8.2021 जिसके द्वारा प्रकरण ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि "प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थी को सुनवायी का समुचित अवसर दिया जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित करे एवं जनहित में बगीचे का संचालन सही किये जाने हेतु तथा [illegible] में होने वाली फसल की जनहित मे उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायत, प्रशासनिक अधिकारियों की समिति गठित करवायी जाकर रिपोर्ट के अनुसार जनहित में प्रबंधन करवाया [illegible]। उक्त निर्णय की पालना में दिनांक 22.9.2021 को पत्रावली ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष प्रस्तुत की जाने पर निर्णय दिनांक 11.8.2021 के अनुसार प्रशासनिक अधिकारियों की समिति गठन कर रिपोर्ट के अनुसार जनहित में प्रबंधन करवाये जाने हेतु मंदिर श्री चौथ माता ट्रस्ट चौथ का बरवाडा को 7 दिवस का नोटिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:31:37 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

इस आशय का दिया गया कि क्यो नही ख0न0 1167 रकबा 1.15 है0 गैर मुमकिन आबादी एवं ख0न0 1167/5003 रकबा 0.7600 है0 गै0मु आबादी भूमि ग्राम पंचायत के स्वामित्व की है का कब्जा वापस ट्रस्ट से लिया जावे। आदेशिका दिनांक 22.9.2021 की पालना में दिनांक 30.9. 2021 को अध्यक्ष मंदिर श्री चौथ माता ट्रस्ट को नोटिस जारी किया गया जिसका जवाब ट्रस्ट द्वारा दिनांक 2.10.2021 को पेश कर जवाब में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय बेंच जयपुर मे रीट याचिका संख्या 756/2021 पेश किया जाना बताते हुए आदेश दिनांक 4.9.2021 की प्रति पेश की जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा अपनी कार्यवाही रोक दी गयी। चौथ माता ट्रस्ट द्वारा एकल पीठ मे प्रस्तुत रिट याचिका एडमिशन स्तर पर खारिज होने के तथ्य को छुपाया किन्तु जब माननीय उच्च न्यायालय बैंच जयपुर की डबल बैंच से नोटिस प्राप्त हुए तो ग्राम पंचायत ने अपना पक्ष रखने के लिए श्री सैयद शाहिद हसन सीनियर एडवोकेट को नियुक्त किया गया उक्त रिट मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों को सुनकर दिनांक 10.1.2022 को ट्रस्ट की अपील को खारिज करते हुए आदेश मे साफ लिखा कि यह भूमि ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा के स्वामित्व की होने के कारण विवाधक केवल मात्र ग्राम पंचायत को निर्णित करना है। इसलिए जिला कलेक्टर एवं एकल पीठ द्वारा पारित आदेश को बहाल रखा गया है। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान बैंच जयपुर के आदेश की अनुपालना में गैर सायल को दिनांक 19.1. 2022 को साधारण डाक से एवं रजिस्टर्ड डाक से भेजा जिसका जवाब गैर सायल ने दिनांक 25. 1.2022 को प्रस्तुत किया गया। यह तर्क भी दिया ट्रस्ट का रवेया साफ नही है वह इस भूमि का कब्जा नही छोडना चाहता है जबकि एन.ओ.सी सदा सर्वदा के लिए नही दी जाती है यह एक अनुज्ञा मात्र होती है जिसको मालिक कभी भी समाप्त कर सकता है। यह तर्क भी दिया कि इसी बगीचे के पास शिव मंदिर गार्डन तथा गणेश बगीची की भूमि ट्रस्ट को पूर्व में ही उपलब्ध करवायी जा चुकी है जिसमे ग्राम के निवासी भ्रमण, योग व पूजा करते है। ग्राम की जन संख्या के अनुसार जगह–जगह पार्क रखा जाना उचित नही है इससे पंचायत पर रख रखाव इत्यादि का अनावश्यक खर्चा बढता है। यह तर्क भी दिया कि ग्राम पंचायत व ट्रस्ट के इस संव्यवहार मे अनुज्ञप्तिदाता (Licensor) व अनुज्ञप्तिधारी (Licensee) के है। निगरानीकार के पक्ष में अनुज्ञप्ति जारी की है कोई टाईटल का ट्रांसफर नही किया है तथा (Licensor) को (Licensee) कभी भी Revoke करने का पूरा पूरा अधिकार है। इस मामले मे **Maxim of Ubi Jus Ibi Remedium)** अर्थात जहॉ अधिकार है वहॉ उपचार है (Where there is right there is remedy) का सम भी लागू होता है जब निगरानीकार के किसी अधिकार का हनन नही हुआ है तो वह कोई उपचार प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि निगरानीकार एक ट्रस्ट है जिसको आवश्यक रूप से आय मे से जन हितार्थ खर्च करना पडता है। 20–25 लाख का खर्चा ट्रस्ट का होना बताया है अगर यह मान भी लिया जावे तो ट्रस्ट का उद्वेश्य लाभ कमाना नही होता है तथा ट्रस्ट के पदाधिकारियो की व्यक्तिगत रकम इसमे खर्च नही हुई है बल्कि जनता ने चौथ माता के नाम से दी गयी सहयोग राशि या दान राशि है उसका उपयोग हुआ है। ग्राम पंचायत भी संविधान के तहत (Local body) है। जो ग्राम की रोशनी ,सफाई तथा अन्य विकास कार्य करवाती है इसलिए यदि भूमि का ग्राम पंचायत को कब्जा पुनः प्राप्त होता है तो यह गैर कानूनी नही है। ग्राम पंचायत चूंकि स्वामी है उसको भूमि को बेचने,लीज पर देने या अन्य तरीके से उपयोग करने का अधिकार है ग्राम पंचायत स्वामी है इसलिए इससे राजस्व बढाने के लिए इसलिए ग्राम पंचायत का आदेश दिनांक 23.2.2022 किसी भी कोण से गैर कानूनी या विधि विरुद्ध नही है। यह तर्क भी दिया कि निगरानीकार स्वच्छ हाथो से न्यायालय के समक्ष नही आया है जो व्यक्ति न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथो से नही आता है उसको कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नही होता है। अतः उपरोक्त हालात मे निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य होने के कारण निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:31:37 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

(निगरानी संख्या 2/2022 मंदिर श्री चौथ माता ट्रस्ट बनाम ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा)

वकील उभय पक्षों की और से बहस में प्रस्तुत तथ्यों को सुनने के पश्चात् एवं सम्बन्धित पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रार्थी के अनुसार ग्राम पंचायत का आदेश दिनांक 23.2.2022 से उक्त भूमि पर से मंदिर चौथ माता ट्रस्ट को बेदखल करके कब्जा ग्राम पंचायत को दिये जाने का आदेश पारित किया गया है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि निगरानी संख्या 12/2013 दिनांक 30.3.2017 को इस आधार पर खारिज की गयी थी कि निगरानीकर्ता श्री रामधन धाकड का प्रस्ताव संख्या 9 से संबंधित भूमि पर कोई हित निहित नही था क्योकि उक्त भूमि ग्राम पंचायत के स्वामित्व की थी किन्तु अब प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 10.5.2012 से ग्राम पंचायत का हित प्रभावित हो रहा है इसलिए ग्राम पंचायत द्वारा उक्त प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 10.5.2012 को आदेश जैर निगरानी प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 22.2.2021 से खारिज करते हुए उक्त भूमि पर अपना स्वामित्व वापस लिये जाने के आदेश पारित किया गया है जिसके विरूद्व ट्रस्ट द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत निगरानी संख्या 6/2021 मंदिर श्री चौथ माता ट्रस्ट बनाम ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा दर्ज की जाकर दिनांक 11.8.2021 को ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा को पुनः सुनवायी हेतु रिमाण्ड की गयी थी। जिसके विरूद्व निगरानीकार द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 9037/2021 निर्णय दिनांक 25.8.2021 एवं डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 756/2021 निर्णय दिनांक 10.1.2021 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा का निर्णय दिनांक 22.2.2021 एवं न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 11.08.2021 को विधिसम्मत मानते हुऐ निगरानीकार की अपील खारिज की चुकी है। सिविल न्यायालय के प्रकरण संख्या 23/2022 उनवानी गजानन्द वगै. बनाम मंदिर श्री चौथ माता ट्रस्ट निर्णय दिनांक 28.11.2022 मे ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जो कि विवादित पार्क की रिकार्डेड खातेदार है को पक्षकार नही बनाया गया है इसलिए उक्त निर्णय इस प्रकरण पर चस्पा नही होता है। उक्त प्रकरण में निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत के नोटिस कमांक/ग्रापं./सीकेबी/2021–22 /120 दिनांक 19.1.2022 का जवाब दिनांक 25.1.2022 को ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा में जवाब पेश किया गया है इसलिए सुनवायी का अवसर दिये जाने की पुष्टि हो जाती है। परन्तु इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.8.2021 में दिये गये निर्देशो की पालना आदेश जैर निगरानी मे नही की गयी है इसलिए न्याय हित में निगरानीकार को पुनः सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया जाना उचित समझता हूँ।

उक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार की जाकर आदेश जैर निगरानी खारिज किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि प्रार्थी को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर पूर्व निर्णय दिनांक 11.8.2021 मे दिये गये निर्देशों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.2.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:31:37 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर